न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

पीठासीन अधिकारी –अनुतोष गुप्ता, आर.जे.एस. (अतिरिक्त कार्यभार)
दीवानी वाद संख्या– 16/2013
सी.आई.एस. नम्बर– 54/2014

1– रमेशचंद्र गुप्ता पुत्र बद्रीलाल गुप्ता, जाति–कलाल, निवासी–सुमेरगंजमंडी, जिला–बून्दी (राज0)

–वादी

बनाम

1– आशीष सुंवालका पुत्र बृजमोहन सुंवालका,
2– विजयलक्ष्मी पत्नी ब्रजमोहन सुंवालका,
3– ब्रजमोहन सुंवालका पुत्र स्व. प्यारेलाल, जातियान–कलाल, निवासीगण– सब्जीमण्डी के सामने, सुमेरगंजमंडी, तहसील–इन्द्रगढ़, जिला–बून्दी (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा

उपस्थितः–
1. श्री बालकिशन रायका अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री हेमन्त योगी अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण।

निर्णय **दिनांक : 28–04–2016**

1. वादी रमेशचंद के द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण आशीष व अन्य दिनांक 26.04.2013 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वाद पत्र के पैरा सं.1 एक में विहित पड़ौस के मध्य सुमेरगंजमंडी सब्जीमण्डी के सामने वादी के ताउजी स्व. बजरंगलाल गुप्ता का मकान स्थित होकर उसमें नीचे की मंजिल में दो दूकानें, तीन कमरे व एक बरामद बना हुआ है और उसकी दूसरी मंजिल पर एक बड़ा होल, 3 कमरे, लेट–बाथरूम व एक रसोई बनी हुई है तथा नीचे की मंजिल व दूसरी मंजिल के हॉल में कंई वर्षों से एस.बी.जी. मेमोरियल सीनियर सैकण्डरी का पांचवी कक्षा तक का स्कुल चलता है तथा वादी को यह मकान स्व. बजरंगलाल गुप्ता की वसीयत पत्र दिनांक 19.06.2000 से प्राप्त हुआ है। जिसकी पैमाईश पूरब से पश्चिम 25 फुट व उत्तर से दक्षिण 110 फुट है।

2. स्व.बजरंगलाल गुप्ता के द्वारा दिनांक 27.03.1996 के द्वारा इस विवादग्रस्त मकान के संबंध में एक वसीयत निष्पादित करके इस मकान में स्थित एक 25 फुट गुणित 55 फुट का बड़ा हॉल, जिस पर टीनशेड लगा होकर बर्फ फैक्टी और आईसक्रीम प्लान्ट लगा हुआ है, उसे प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के पक्ष में

इस शर्त के साथ दिया गया था कि वह उस मकान में अपने कब्जे के एक कमरे, एक रसोई व बराण्डे को खाली करके वसीयतकर्ता स्व. बजरंगलाल गुप्ता को संभला देगी और उसके उपरान्त ही वह वसीयत अमल में आयेगी, किन्तु प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के द्वारा इस शर्त का पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया है और वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के इस मकान में स्थित एक दुकान को कमलेश बैरवा के द्वारा खाली करने के बाद दिनांक 02.07.2012 को तथा दूसरी दुकान के भी खाली करने के उपरान्त प्रतिवादी सं.1 आशीष सुंवालका के द्वारा खाली पड़े बरामदे में ईंट व सीमेंट का पार्टिशन खड़ा कर दिया और दिनांक 11.07.2012 को दोनों दूकानों के माध्य स्थित गैलेरी के दोनों तालों को तोड़कर गेट खोल दिया तथा नीचे की मंजिल मे तोड़फोड़ कर दूकानों की लकड़ी के किंवाड़ हटाकर लोहे के शटर बिना किसी हक व अधिकार के लगा दिये। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के द्वारा विवादग्रस्त मकान में स्थित एक कमरा एक रसोई व बरामदे पर अतिक्रमण कर रखा है और प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को डराया व धमकाया जाने पर वादी के द्वारा दिनांक 12.07.2012 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक रिपोर्ट पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में भी पेश की, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस पर वादी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिनांक 29.01.2013 को एक रजिस्टर्ड नोटिस भी भिजवाया, किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस पर वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध माफिक अनुतोष उसके पक्ष में डिक्री जारी करने का निवेदन करते हुए वाद पत्र पेश किया है।

3. वादी के वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति स्व. बजरंगलाल गुप्ता की होना तथा उनके द्वारा दिनांक 27.03.1996 को प्रतिवादी सं.2 के पक्ष में वसीयत करना और उसके उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 19.06.2000 को वादी के साथ ओमप्रकाश गुप्ता के पक्ष में भी वसीयत करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए तथा अन्य सभी सारवान तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अभिकथित किया है कि स्व. बजरंगलाल प्रतिवादिया सं.2 को जन्म से ही अपनी बेटीवत पुत्री के रूप में प्यार करते थे और उन्होंने ही उसका कन्यादान किया था तथा उनके द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व विवादग्रस्त संपूर्ण मकान जरिये मौखिक वसीयत प्रतिवादिया सं.2 को उसके विवाह के समय देते हुए परिवारजनों के सामने दे दिया था। स्व. बजरंगलाल के द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 19.06.2000 की वसीयत को खारिज करते हुए संपूर्ण मकान प्रतिवादिया सं.2 को संभलाया था और इस कारण वह अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग–उपभोग करने के लिये पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं तथा

उन्होंने स्व. बजरंगलाल की मृत्यु के वर्ष और विवादग्रस्त मकान में अपनी निवासी के निवास होने के वर्षों के संबंध में रिक्त स्थान छोड़ते हुए अपना कब्जा और वादी का कोई कब्जा नहीं होने का आधार बताते हुए वादी का वाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4. वादी द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी को पी. ड.1 के रूप में व गवाह पी.ड.2 ओमलता व प्रलेखीय साक्ष्य में प्रमाणित प्रति वसीयत दिनांक 19.06.2000 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति वसीयत दिनांक 27.03.1996 प्रदर्श–2, रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श–3, रसीदें प्रदर्श–4, ए.डी. प्रदर्श–5 को परीक्षित–प्रदर्शित कराया गया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी.ड.1 वियजलक्ष्मी, डी.ड.2 आशीष गुप्ता को परीक्षित कराया गया है व प्रलेखीय साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है।

5. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये–

1– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की चरण सं.1 में वर्णित वादी के आधिपत्य व स्वामित्व के मकान के कब्जे, उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं पहुंचाये व नया निर्माण कार्य नहीं करें ? **–वादी**

2– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर इस आशय की आदेशात्मक आज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वाद पत्र की चरण सं.1 में वर्णित वादी के मकान में वसीयत पत्र दिनांक 27.03.1996 के अनुसार प्रतिवादीगण के स्वयं के घरेलू सामान, जो अतिक्रमी की हैसियत से रखे हुए हैं, को प्रतिवादीगण अपने खर्चे से हटाये व वसीयत की शर्त की पालना करवाने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे ?

–वादी

3– आया स्व. बजरंगलाल ने मरने से पूर्व वाद पत्र की चरण सं.1 में वर्णित संपूर्ण मकान को प्रतिवादिया सं.2 को मौखिक वसीयत से संपूर्ण मालिकाना अधिकार दे दिये थे एवं तभी से वह उक्त सम्पत्ति पर काबिज है ?

–प्रतिवादीगण

4– अनुतोष ?

6. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बालकिशन रायका के द्वारा यह तर्क दिया गया कि विवादग्रस्त संपत्ति में से कुछ भाग की वसीयत बजरंगलाल के द्वारा प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के पक्ष में

सशर्त की गयी थी, किन्तु उनके द्वारा उस शर्त का पालन नहीं किया गया और उस वसीयत के उपरान्त बजरंगलाल के द्वारा वादी के पक्ष में एक वसीयत विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में कर दी गयी है, इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण बिनाा किसी हक व अधिकार के विवादग्रस्त संपत्ति में तोड़फोड़ व निर्माण कार्य करने को आमादा हैं और साथ ही वसीयत के अनुसार उनके द्वारा तथाकथित हिस्से को खाली न कर अतिक्रमण कर रखा है। अतः उनके द्वारा माफिक अनुतोष वादी के पक्ष में डिक्री पारित करने का निवेदन किया व अपने समर्थन में 2015 (3) डी.एन.जे. (राज.) पेज–1197, 2010 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज–260 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

7. जबकि प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हेमन्त योगी के द्वारा तर्क दिया गया कि विजयलक्ष्मी के विवाह के समय ही विवादग्रस्त संपत्ति की वसीयत बजरंगलाल के द्वारा उसके पक्ष में कर दी गयी थी और उसके उपरान्त की गयी वसीयत मात्र उसका लिखित सबूत थी। विवादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादीगण का स्वामित्व व आधिपत्य है और वादी का विवादग्रस्त संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य न होने के कारण न्यायालय के द्वारा उसके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः उनके द्वारा वादी का वाद मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है। उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में आर.एल. डब्ल्यू. 2008 (1) आर.जे. पेज–239, ए.आई.आर. 2007 एस.सी. पेज–1975, ए.आई.आर. 2009 एस.सी. पेज–951 व 1766, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. पेज–511, 2010 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज–376, 2009 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज–1, 2010 डी.एन.जे. (राज.) पेज–1, 2013डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज–62, 2011 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज–297 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

8. पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय का विवाद्यकवार विनिश्चय निम्न प्रकार से है–

<u>विवाद्यक संख्या एक, दो व तीन–</u>

9. चूंकि तीनों विवाद्यक बिन्दू परस्पर अन्तर्संबंधित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से तथा तथ्य व साक्ष्य की अनावश्यक पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त उक्त तीनों विवाद्यक बिन्दूओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

10. प्रथम दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार वादी पर था। जिसमें उसे यह साबित करना था कि वाद पत्र के पैरा सं.1 में विहित पड़ौसों के मध्य स्थित विवादग्रस्त संपत्ति स्व. बजरंगलाल गुप्ता की होकर उसमें से उनके द्वारा कुछ हिस्सा प्रतिवादिया सं.2 जरिये वसीयत इस शर्त के साथ दिया गया कि वह वाद

पत्र के पैरा सं.2 में स्थित अपने कब्जे के हिस्से को उन्हें संभला देगी और उसके उपरांत उनके द्वारा वह संपूर्ण मकान वादी के पक्ष में वसीयत कर दिया गया और बजरंगलाल गुप्ता की मृत्यु के उपरांत से वादी उस मकान पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण उसके स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति में उसके उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर नया निर्माण करने को आमादा हैं और प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 27.03.1996 की वसीयत की पालना नहीं की गयी है और उनके द्वारा एक कमरा, एक रसोई व बराण्डे पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा कर रखा है तथा तीसरे विवाद्यक के रूप में प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि बजरंगलाल के द्वारा जरिये मौखिक वसीयत विवादग्रस्त संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार प्रतिवादीगण को प्रदान कर दिया था।

11. उक्त विवाद्यकों के संबंध में **वादी रमेशचंद** के द्वारा अपने आपको गवाह पी.ड.1 के रूप में पेश कर परीक्षित कराया है व मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन करते हुए वाद पत्र के सभी सारवान तथ्यों को दोहराया है तथा अपने समर्थन में बजरंगलाल गुप्ता के द्वारा दिनांक 19.06.2000 को और दिनांक 27.03. 1996 को की गयी वसीयत को क्रमशः जरिये प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के रूप में तथा दिनांक 29.01.2013 के रजिस्टर्ड नोटिस को जरिये प्रदर्श–3, रसीदों को जरिये प्रदर्श–4, नोटिस की ए.डी. को जरिये प्रदर्श–5 पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

12. गवाह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह वर्तमान में सुमेरगंजमंडी में नहीं रहता है। वह सन 1985 से कोटा में रहता है। यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण 1985 से सुमेरगंजमंडी के मकान में निवास कर रहे हैं। विवादित मकान पर उसका कब्जा 1985 तक था। उसके बाद उसका कब्जा नहीं रहा। फिर स्वतः कहा कि उसका आज भी कब्जा है और उसमें एक विद्यालय चलता है। उसने विवादग्रस्त संपत्ति बजरंगलाल की होने के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये।

13. **गवाह पी.ड.2 श्रीमती ओमलता** के द्वारा मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र मे कथन किया गया है कि वादी के ताउजी स्व. बजरंगलाल गुप्ता का सुमेरगंजमंडी सब्जीमण्डी के सामने एक मकान स्थित होकर उसकी नीचे की मंजिल में दो दूकानें, तीन कमरे व एक बरामदा बना हुआ है व दूसरी मंजिल में एक बड़ा हॉल, तीन कमरे, लेट–बाथरूम व रसोई बनी हुई है तथा नीचे व उपर की मंजिल में कंई वर्षों से स्कुल चलती है। वादी का यह मकान स्व. बजरंगलाल गुप्ता के द्वारा की गयी दिनांक 19.06.2000 की वसीयत से प्राप्त हुआ है। विवादग्रस्त मकान में वादी रमेशचंद गुप्ता के द्वारा डाईंग रूम, लेट–बाथरूम व

बरामदा बनाया गया। बजरंगलाल गुप्ता के द्वारा कभी भी अपनी मृत्यु से पूर्व विवादग्रस्त संपत्ति की मौखिक वसीयत प्रतिवादिया सं.2 के पक्ष में नहीं की और न ही उसके पक्ष में कोई कन्यादान किया। विजयलक्ष्मी के विवाह का सारा खर्चा उसके ससुर बद्रीलाल द्वारा वहन किया गया था। उसके पति वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को अपना अतिक्रमण हटाने को कहा तो उन्होंने नहीं हटाया।

14. गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि विजयलक्ष्मी उसकी ननद है और ब्रजमोहन नंदोई व आशीष भान्जा है। सन् 1985 से हम लोग कोटा रहने लग गये थे। विजयलक्ष्मी ने विवादित मकान पर कब्जा कर रखा है।

15. उक्त विवाद्यक के संबंध में वादी की साक्ष्य के खण्डन के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से विजयलक्ष्मी ने अपने आपको **गवाह डी.ड.1** के रूप में पेश करते हुए मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया है कि सुमेरगंजमंडी सब्जीमण्डी के सामने स्थित स्व. बजरंगलाल गुप्ता के स्वामित्व व कब्जे के मकान पर अब उसका स्वामित्व व कब्जा है। स्व. बजरंगलाल के समय वह मकान एक मंजिला होकर उसमें दो दूकानें कड़ी पार्ट के बीच गैलेरी तथा पीछे की तरफ दो कच्चे कमरे होकर दूकानो ंव कमरों के बीच एक चौक था। बजरंगलाल के कोई भी संतान नहीं होने के कारण उन्होंने उसे अपनी पुत्री मानकर 1967 में उसके कन्यादान के समय वह मकान उसको दिया था, तब से वह बतौर स्वामी उसका उपयोग–उपभोग कर रही है। उसने अपने ताउजी की मृत्यु के उपरान्त उस मकान में एक शौरूम, पीछे का हॉल व लेटिन–बाथरूम का निर्माण कराया तथा प्रथम मंजिल पर एक रसोई, एक लेट–बाथरूम, एक हॉल व एक कमरा बनवाया। चूंकि बजरंगलाल के द्वारा विवादग्रस्त मकान उसे कन्यादान के समय दे दिया, इस कारण उन्हेांने दिनांक 27.03.1996 को जरिये पंजीकृत वसीयतनामा एक वसीयत उसके पक्ष में निष्पादित की। इस मकान में उसका पुत्र आशीष व्यवसाय कर रहा है तथा चूंकि बजरंगलाल के द्वारा कन्यादान के समय ही अपना संपूर्ण मकान के स्वामित्व व आधिपत्य उसे दे दिया तो ऐसी स्थिति में उन्हें जरिये वसीयतनामा उसके कब्जे के संबंध में कोई शर्त लगाने का अधिकार ही नहीं था। विवादग्रस्त संपत्ति पर कभी भी वादी का कब्जा नहीं रहा है और साथ ही विवादग्रस्त मकान का कन्यादान प्रतिवादी सं.2 के पक्ष में कर देने के कारण मृतक बजरंगलाल को दिनांक 19.06.2000 की कोई वसीयत करने का भी कोई अधिकार नहीं था।

16. गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि उसके पक्ष में कोई भी लिखित वसीयत निष्पादित नहीं की गयी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक बजरंगलाल के द्वारा दिनांक 27.03.1996 को किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत की हो। वर्ष 1967 में आखातीज के दिन जब उसके पक्ष में वसीयत की, तब उसके माता–पिता, भाई–बहिन सभी परिवार के लोग थे। विवादित मकान की दूसरी मंजिल में कोई स्कुल नहीं चलता है। यह कहना सही है कि उसने विवादग्रस्त संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, किन्तु वह उसे पेश कर सकती है। दिनांक 11.07.2012 को उसके पुत्र आशीष के द्वारा कोई तोड़फोड़ कर निर्माण नहीं किया गया।

17. **गवाह डी.ड.2 आशीष सुंवालका** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र पर कथन किया कि प्रतिवादी सं.2 विजयलक्ष्मी उसकी माता है और उनके ताउ स्व. बजरंगलाल गुप्ता का सुमेरगंजमंडी सब्जीमण्डी स्थित मकान उनकी माता के स्वामित्व व आधिपत्य में है। स्व. बजरंगलाल के समय उसमें सिर्फ एक ही मंजिल थी। बजरंगलाल के कोई संतान नहीं होने से उन्होंने 1967 में आखातीज की गोधूली बैला पर उसकी माता विजयलक्ष्मी का कन्यादान पुत्री के रूप मे करते हुए मकान उसकी माता को सुपुर्द कर दिया, तब से वह उसमें बतौर स्वामी निवास कर रही है। उसके बड़े नाना की मृत्यु के उपरांत उसकी माता ने ही इस शौरूम, पीछे हॉल, लेट–बाथरूम का निर्माण कराया तथा प्रथम मंजिल पर रसोई, लेट–बाथरूम व हॉल तथा कमरे का निर्माण कराया। दिनांक 27.03.1996 को एक पंजीकृत वसीयत का निष्पादन उसकी माता के पक्ष में बतौर सबूत किया गया था। चूंकि बजरंगलाल के द्वारा कन्यादान के समय ही संपूर्ण मकान उसकी माता को देने के कारण उनको उस वसीयतनामे के द्वारा न तो कोई शर्त लगाने का अधिकार था और न उस संपत्ति के संबंध में किसी वसीयत के द्वारा दिनांक 19.06.2000 को वादी व उसके भाई ओमप्रकाश के पक्ष में कोई वसीयत करने का अधिकार था और उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं की।

18. गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे कन्यादान के समय उसकी माता के पक्ष में वसीयत करने वाली बात लोगों की जानकारी से पता है। उसने होश संभालने से ही यह संपत्ति अपनी माता विजयलक्ष्मी के पास देखी है। यह कहना सही है कि दिनांक 19.06.2000 के पूर्व दिनांक 27.03.1996 को मृतक बजरंगलाल ने एक वसीयत की थी। उसने दिनांक 11.07.2012 को दोनों दूकानों के बीच गैलेरी के बीच ताले तोड़कर कोई गेट नहीं खोला और न ही लकड़ी के किवाड़ को हटाकर लोहे का शटर लगाया। उसकी मां को विवादग्रस्त संपत्ति की वसीयत कन्यादान के समय ही की गयी थी। यह कहना सही है कि वर्ष

1967 से विवादग्रस्त संपत्ति पर उनके रहने के संबंध में उसने कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किया है। यह सही है कि उसकी मां, रमेश व ओमप्रकाश तीनों बद्रीलाल की संतान है। उसकी मां बजरंगलाल के दत्तक पुत्री है। यह कहना सही है कि उसने गोद के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं। उसकी माता को रामस्वरूप कलवार, गरिमा कलवार, वैद्यकुमारी व रमेश की उपस्थिति में गोद लिया गया था। वैद्यकुमारी व गरिमा दोनों बद्रीलाल की पुत्रियां हैं। गोद की गवाही के संबंध में प्रभुलाल जांगिड़ व दीनबन्धू भी जानते हैं। यह गलत है कि विवादग्रस्त संपत्ति वादी रमेश की हो और मौखिक वसीयत के आधार पर वह उसे हड़पना चाहते हों।

19. न्यायालय ने विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का हस्तगत वाद इस न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया है कि विवादग्रस्त मकान स्व. बजरंगलाल गुप्ता का है और उनके द्वारा इस मकान में से कुछ हिस्सा जरिये वसीयत दिनांक 27.03.1996 को प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के पक्ष में इस शर्त के साथ दिया था कि वह उस मकान में काबिज एक कमरे, एक रसोई व बरामदे को बजरंगलाल को सुपुर्द कर देगी तथा उसके उपरांत दिनांक 19.06.2000 को बजरंगलाल के द्वारा वादी के पक्ष में संपूर्ण मकान की वसीयत कर दी, जिसके कारण वह उस संपूर्ण मकान का स्वामी है, किन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण के द्वारा उस संपत्ति पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा कर रखा है और साथ ही उनके द्वारा उसमें तोड़फोड़ कर निर्माण का कार्य किया गया है। अतः उनके द्वारा उस किये गये निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटाने, वसीयत की पालना के अनुसार एक कमरा, एक रसोई व बरामदे को खाली करने के संबंध में आदेशात्मक आज्ञा के द्वारा प्रतिवादीगण को पाबंद करने तथा भविष्य में वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा नहीं डालने के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

20. जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा अभिकथित किया है कि विवादग्रस्त संपत्ति बजरंगलाल की थी,जो कि प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के ताउजी थे और उन्होंने उसके विवाह के समय बतौर कन्यादान उसके पक्ष में मौखिक वसीयत के द्वारा वह संपत्ति उसे स्वामित्व के रूप में सुपुर्द की थी तथा दिनांक 27.03.1996 की वसीयत बतौर लिखित सबूत निष्पादित की गयी थी। चूंकि कन्यादान के समय ही विवादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी को बतौर स्वामित्व दे दी गयी थी। अतः ऐसी स्थिति में बजरंगलाल को दिनांक 27.03.1996 के द्वारा

विवादग्रस्त संपत्ति में कोई शर्त लगाना तथा दिनांक 19.06.2000 के द्वारा वादी के पक्ष में कोई भी वसीयत करने का अधिकार नहीं था और विवादग्रस्त संपत्ति पर वादी का कोई कब्जा नहीं होने का आधार लेते हुए वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

21. पत्रावली में वादी के द्वारा यह तो अभिकथित किया कि विवादग्रस्त संपत्ति बजरंगलाल गुप्ता की थी, किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादग्रस्त संपत्ति स्व. बजरंगलाल की हो, किन्तु चूंकि स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावे में और साक्ष्य के माध्यम से यह स्वीकार कर रखा है कि विवादग्रस्त संपत्ति स्व. बजरंगलाल की थी। अतः ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि विवादग्रस्त संपत्ति स्व. बजरंगलाल की ही थी।

22. पत्रावली में वादी के द्वारा जो वाद पत्र पेश किया गया, उसमें उसके द्वारा स्पष्ट रूप से अपना और प्रतिवादीगण के बीच तथा स्व. बजरंगलाल और उनका वादी व प्रतिवादीगण से क्या संबंध था, इसके संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया, किन्तु उभयपक्षों की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि वादी रमेश एवं प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी आपस में भाई–बहिन हैं और इनके पिता का नाम बद्रीलाल है तथा जिस व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में विवाद है, वह व्यक्ति बजरंगलाल वादी रमेश और प्रतिवादिया सं.02 विजयलक्ष्मी का ताउ होकर उनके पिता बद्रीलाल का भाई है तथा प्रतिवादी सं.1 आशीष प्रति. सं. 2 विजयलक्ष्मी व प्रतिवादी सं.3 ब्रजमोहन का पुत्र है।

23. पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी के अभिवचन व साक्ष्य में तीन वसीयत का उल्लेख हुआ है। <u>प्रथम वसीयत</u>, जिसे प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के द्वारा मौखिक वसीयत के रूप में बताया गया है और उसने अभिकथित किया है कि वर्ष 1967 में आखातीज के दिन उसके विवाह के समय बजरंगलाल के द्वारा कन्यादान के रूप में संपूर्ण संपत्ति की वसीयत मौखिक रूप से उसके पक्ष में कर दी गयी थी। <u>दूसरी वसीयत</u> दिनांक 27.03.1996 की है, जिसे वादी के द्वारा जरिये प्रदर्श–2 पेश कर प्रदर्शित करवाया है। इस वसीयत के अनुसार बजरंगलाल के द्वारा अपनी सुमेरगंजमंडी में स्थित मकान में से 25 गुणित 55 फुट के हिस्से को प्रतिवादी सं.2 विजयलक्ष्मी के पक्ष में इस शर्त के साथ वसीयत किया गया था कि वह उस मकान में अपने रहने वाले हिस्से के एक कमरे, एक रसोई व बरामदे को खाली कर बजरंगलाल गुप्ता को सुपुर्द कर देगी और वह वसीयत उसकी मृत्यु के उपरांत ही प्रभावी होगी, जब तक वे जीवित हैं, तब तक वे उस संपत्ति का मालिक के रूप में उपयोग–उपभोग करते रहेंगे तथा

तीसरी वसीयत दिनांक 19.06.2000 की है, जिसे वादी के द्वारा जरिये प्रदर्श–1 पेश कर प्रदर्शित कराया गया है। इस वसीयत के अनुसार बजरंगलाल के द्वारा सुमेरगंजमंडी सब्जीमंडी के सामने स्थित अपने मकान को रमेश गुप्ता को बतौर स्वामित्व हक दिया गया है और उस संपत्ति के संबंध में किसी भी उत्तराधिकारी को कोई एतराज व हक मांगने से रोका गया है।

24. हालांकि दिनांक 27.03.1996 एवं दिनांक 19.06.2000 की वसीयत के निष्पादन एवं उसके साबित होने के संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से काफी न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं किन्तु चूंकि स्वयं प्रतिवादीगण के अभिवचन एवं साक्ष्य से यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त दोनों वसीयतों का निष्पादन हुआ है। अतः प्रतिवादी के द्वारा इस बिन्दू पर पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों के संबंध में कोई भी मत प्रकट करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

25. सर्वप्रथम प्रथम मौखिक वसीयत के संबंध में देखा जाये तो प्रतिवादिया सं. 2 विजयलक्ष्मी के अनुसार उसका विवाह वर्ष 1967 में आखातीज के दिन हुआ था और उस दिन बजरंगलाल के द्वारा उसका कन्यादान करते हुए अन्य परिवारजनों की उपस्थिति में विवादग्रस्त संपत्ति की मौखिक वसीयत उसके पक्ष में की गयी थी और तब से वह उस संपत्ति पर स्वामित्व के रूप में काबिज है। इस संबंध में इस न्यायालय के मत में उनका यह तर्क और अभिवचन उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अपने जीवनकाल में तत्काल सुपुर्द करता है तो ऐसी स्थिति में उस लेन–देन के कृत्य को ''दान'' कहा जाता है। वसीयत से तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऐसी अभिस्वीकृति होती है, जिसमें वह व्यक्ति यह प्रकट करता है कि उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी संपत्ति का न्यायगमन किस प्रकार होगा या कौन व्यक्ति उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, अर्थात् वसीयत का निष्पादन वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावी होता है। इस प्रकरण में प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के अनुसार उसके विवाह के समय बजरंगलाल के द्वारा मौखिक वसीयत के तहत संपूर्ण विवादग्रस्त संपत्ति उसको स्वामित्व के रूप में सुपुर्द कर दी थी। यदि उसको उसी समय संपत्ति सुपुर्द कर दी थी तो ऐसी स्थिति में वह लेन–देन वसीयत न होकर दान की श्रेणी में माना जायेगा।

26. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1872 की धारा 122 से 129 में ''दान'' संबंधी प्रावधान दिये गये हैं। अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, किसी भी स्थावर संपत्ति का दान, दानदाता के द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित व रजिस्टीकृत लिखत के द्वारा ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं, अर्थात् यदि स्थावर संपत्ति का दान एक पक्षकार के द्वारा

दूसरे पक्षकार को किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह तभी प्रभावी होगा, जब दानदाता के द्वारा किसी हस्ताक्षरित तथा दो साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित करके उसे पंजीकृत कराया गया हो। इस प्रकरण में भी जिस विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में लेन–देन करना बताया गया है, वह संपत्ति स्थावर संपत्ति है और उस स्थावर संपत्ति के संबंध में बजरंगलाल के द्वारा कोई हस्ताक्षरित एवं अनुप्रमाणित लिखत प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीयन कराया गया हो, ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रतिवादिया सं.2 के द्वारा इस पत्रावली पर पेश नहीं किया गया और साथ ही उसने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया है कि ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज निष्पादित नहीं हुआ और न ही उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज है। अतः ऐसी स्थिति में यह माने जाने का आधार है कि बजरंगलाल के द्वारा वर्ष 1967 में आखातीज के दिन प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के विवाह पर विवादग्रस्त संपत्ति उसको दान नहीं दी गयी है और चूंकि उस दिन वह संपत्ति विधिवत् रूप से उसको दान नहीं की गयी थी और न ही उनके द्वारा उस दिन उस संपत्ति का स्वामित्व व आधिपत्य विजयलक्ष्मी को सुपुर्द किया गया। अतः ऐसी स्थिति में उनका यह तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है कि बजरंगलाल गुप्ता उस संपत्ति के संबंध में दिनांक 27.03.1996 के द्वारा वसीयत के माध्यम से कोई शर्त लगा सकता था और न ही उस संपत्ति की वसीयत दिनांक 19.06.2000 को वादी रमेशचंद के पक्ष में कर सकता था।

27. दूसरी वसीयत दिनांक 27.03.1996 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार बजरंगलाल के द्वारा यह अभिकथित किया गया था कि सुमेरगंजमंडी के सामने स्थित मकान का वह एकमात्र स्वामी है और उस मकान में दुकानात व मकानात होकर एक बड़ा हॉल, जिस पर टीनशेड हो रहा है और बर्फ फैक्टी और आईसक्रीम का प्लान्ट लगा है तथा जिसकी लम्बाई चौड़ाई 25 गुणित 55 फुट है, बना हुआ है, उसमें से 25 गुणित 55 फुट के बड़े हॉल को, जिसमें बर्फ फैक्टी व आईसक्रीम प्लान्ट लगा हुआ है, उसे वह अपनी पुत्री समान विजयलक्ष्मी को वसीयत कर रहा है और जब तक वह जीवित रहेगा, तब तक उस संपत्ति का मालिक के रूप में उपयोग–उपभोग स्वयं करेगा और उसकी मृत्यु के उपरांत विजयलक्ष्मी उसकी मालिक बनेगी, किन्तु उसने अपनी वसीयत में यह भी शर्त रखी थी कि उस मकान में विजयलक्ष्मी के पास एक कमरा, एक रसोई व एक बरामदा है, उसे वह बजरंगलाल गुप्ता को सुपुर्द करेगी और उसके सुपुर्द करने के उपरान्त ही वह वसीयत अमल में लायी जायेगी। चूंकि यह वसीयत सन् 1996 में की गयी थी और उस समय से लेकर वाद प्रस्तुत करने की दिनांक तक एक

रसोई, एक कमरा व बरामदे पर प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी का कब्जा होना उभयपक्षकारों की साक्ष्य से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में यह भी माने जाने का आधार है कि प्रतिवादिया सं.2 विजयलक्ष्मी के द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 27.03.1996 में विहित शर्त की पालना नहीं की गयी है और चूंकि उनके द्वारा उस शर्त की पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में यह वसीयत भी उनके पक्ष में प्रभावी नहीं होती है।

28. तीसरी वसीयत दिनांक 19.06.2000 की है, जिसके अनुसार बजरंगलाल के द्वारा अपनी वसीयत में यह अभिलिखित किया था कि सुमेरगंजमंडी सब्जीमण्डी के सामने स्थित मकान वादी रमेश गुप्ता को देता है और उस संपत्ति के संबंध में किसी भी उत्तराधिकारी को एतराज व उज्र उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चूंकि इस वसीयत में उनके द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में कोई भी विभाजन किये बगैर संपूर्ण संपत्ति वादी रमेश गुप्ता को देने का कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में यह माने जाने को आधार है कि उनके द्वारा इस अंतिम वसीयत के द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति का स्वामित्व वादी रमेश गुप्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया।

29. चूंकि यह तो स्पष्ट है कि बजरंगलाल के द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति की वसीयत वादी रमेश गुप्ता के पक्ष में की गयी थी, किन्तु किसी भी वसीयत का निष्पादन तभी होता है, जब उस वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाये। हालांकि वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में संपत्ति के मालिक बजरंगलाल के नाम के आगे स्वर्गीय शब्दावली का प्रयोग किया गया है और प्रतिवादीगण के द्वारा भी अपने अभिवचन और साक्ष्य में बजरंगलाल के नाम के आगे स्वर्गीय शब्दावली का प्रयोग किया गया है, किन्तु बजरंगलाल गुप्ता की मृत्यु वास्तव में कब और किस दिनांक को हुई, ऐसा न तो उभयपक्षकारों के द्वारा अपने अभिवचन में उल्लेख किया गया और न ही अपनी साक्ष्य में बताया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया, उसके पैरा सं.3 में उसने ''बजरंगलाल की मृत्यु के वर्ष'' के स्थान को भी रिक्त छोड़ दिया।

30. वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में बजरंगलाल गुप्ता की मृत्यु की दिनांक के संबंध में लैशमात्र भी अभिकथन नही किया गया। उसने यह भी अभिकथित नहीं किया कि उसको किस दिनांक से विवादग्रस्त संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हुआ, क्योंकि वसीयत तभी प्रभावी होती है, जब उसके निष्पादनकर्ता की मृत्यु हो जाये। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा सं.6 में यह अभिकथित किया है कि उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादीगण को दिनांक 29.01.2013 को नोटिस दिया था और वादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में उस नोटिस को जरिये

प्रदर्श–3 पेश किया है, जिसमें उसने प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य नहीं करने से पाबंद करने का उल्लेख किया है, किन्तु उसको वह नोटिस जारी करने का अधिकार कब और किस दिन उत्पन्न हुआ, उसने यह तथ्य भी अपने नोटिस में नहीं दिया है।

31. वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा सं.4 में यह अभिकथित किया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा एक कमरा, एक रसोई व बरामदे पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा कर रखा है और उसने उसको हटाने एवं प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये निर्माण कार्य को हटाने बाबत् जब प्रतिवादीगण को सूचना दी तो उन्होंने उसको डराया–धमकाया, जिस पर उसने दिनांक 12.07.2012 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में शिकायत की और जिस पर कार्यवाही नहीं होने से उसके पक्ष में वाद कारण उत्पन्न हुआ, किन्तु दिनांक 12.07.2012 या उससे पूर्व बजरंगलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके पक्ष में विवादग्रस्त संपत्ति का स्वामित्व आ गया हो, ऐसा भी उसके अभिवचन एवं साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में यह भी साबित माने जाने का आधार नहीं है कि दिनांक 12.07.2012 को उसके पक्ष में कोई वाद हैतुक कारण उत्पन्न हो गया हो।

32. वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में यह अभिलिखित किया है कि प्रतिवादीगण उसके स्वामित्व व आधिपत्य के मकान के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा उनके द्वारा वसीयत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए विवादग्रस्त संपत्ति के कुछ भाग पर अतिक्रमण के रूप में कब्जा कर रखा है और इस कारण उसके द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु दीवानी विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा, तभी जारी की जा सकती है, जब विवादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य उस व्यक्ति के पास हो और यही मत माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 2008 (1) आर.जे. पेज–239 में प्रतिपादित किया है। चूंकि स्वयं वादी के वाद पत्र व उसकी ओर से गवाह पी.ड.1 रमेशचंद व गवाह पी.ड.2 ओमलता ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वे सन् 1985 से कोटा में निवास कर रहे हैं और विवादग्रस्त संपत्ति पर उनका आधिपत्य न होकर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है और चूंकि विवादग्रस्त संपत्ति पर उनका कोई आधिपत्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में कोई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती है और उनके द्वारा प्रतिवादीगण से विवादग्रस्त संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धहरण के संबंध में कोई भी अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस वाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में उनके पक्ष में कोई भी अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं

होता है।

33. अतः विवाद्यक सं. 1 व 2 वादी के विरूद्ध व विवाद्यक सं.3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किये जाते हैं।

अनुतोष–

34. पत्रावली में विवाद्यक संख्या एक व दो वादी के विरूद्ध एवं विवाद्यक संख्या तीन प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किये गये है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और किसी भी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है, जो पक्षकार उस तथ्य के अस्तित्व के आधार पर अपने पक्ष में न्याय निर्णयन चाहता है और इसी प्रकार इस प्रकरण में भी इस वाद के अस्तित्व को साबित करने का भार स्वयं वादी पर ही था। अतः चाहे प्रतिवादीगण अपना विवाद्यक साबित करने में असफल रहे हो तो भी चूंकि वादी अपना विवाद्यक सं. एक व दो साबित करने में असफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

35. अतः वादी रमेशचंद पुत्र बद्रीलाल द्वारा प्रतिवादीगण आशीष पुत्र ब्रजमोहन व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत वाद पत्र वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा वादी द्वारा अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री परचा तैयार हो।

(अनुतोष गुप्ता)
सिविल न्यायाधीश इन्द्रगढ़
(अतिरिक्त कार्यभार)

36. आदेश आज दिनांक **28–04–2016** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुतोष गुप्ता)
सिविल न्यायाधीश इन्द्रगढ़
(अतिरिक्त कार्यभार)